

अनुदान संख्या 44 - पशुपालन और डेयरी विभाग
GRANT No. 44 - DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)		
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	4649,09,00		
		4649,13,00	3310,83,21	-1338,29,79
पूरक	Supplementary	4,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1298,82,60
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	38,76,00		
		186,08,00	174,66,77	-11,41,23
पूरक	Supplementary	147,32,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			8,92,89

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2403"	Major Head "2403"			
पशुपालन	Animal Husbandry			
मू.	O.	265019.00		
पू.	S.	2.00	208175.51	206543.95
पु.	R.	-56845.49		-1631.56

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2404"	Major Head "2404"			
डेयरी विकास	Dairy Development			
मू.	O.	84902.00		
पू.	S.	2.00	73745.50	73326.26
पु.	R.	-11158.50		-419.24
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas			
मू.	O.	37251.00		
			261.66	..
पु.	R.	-36989.34		-261.66
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"			
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	69475.00		
			45745.13	44677.79
पु.	R.	-23729.87		-1067.34
मुख्य शीर्ष "3602"	Major Head "3602"			
विधानमंडल वाली संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	2750.00		
			1175.60	968.10
पु.	R.	-1574.40		-207.50

(I) चौदह शीर्षों के अंतर्गत ₹37651.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹36923.00 लाख मुख्य शीर्ष “2552” के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे:

(का) “पशुपालन – मवेशी और भैंस विकास – विकास कार्यक्रम” – ₹4000.00 लाख;

(खा) “पशुपालन – पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य” –

क) “विकास कार्यक्रम” – ₹4000.00 लाख;

ख) “मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹18900.00 लाख;

ग) “अवसंरचना विकास निधि” – ₹1323.00 लाख;

(गा) “डेयरी विकास – डेयरी विकास परियोजनायें – विकास कार्यक्रम” – ₹1068.00 लाख;

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

क) “विकास कार्यक्रम” – ₹932.00 लाख;

ख) “मवेशी स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹2300.00 लाख;

(डा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

क) “विकास कार्यक्रम” – ₹2100 लाख; और

ख) “पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹2300 लाख।

(I) Provision of ₹37651.00 lakhs remained wholly unutilised under fourteen heads; of these ₹36923.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(A) “Animal Husbandry - Cattle and Buffalo Development - Development Programmes” - ₹4000.00 lakhs;

(B) “Animal Husbandry - Veterinary Services and Animal Health” -

(a) “Development Programmes” - ₹4000.00 lakhs;

(b) “Livestock Health and Disease Control Programme” - ₹18900.00 lakhs;

(c) “Infrastructure Development Fund” - ₹1323.00 lakhs;

(C) “Dairy Development - Dairy Development Projects - Development Programmes” - ₹1068.00 lakhs;

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Development Programmes” - ₹932.00 lakhs;

(b) “Livestock Health and Disease Control Programme” - ₹2300.00 lakhs;

(E) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Development Programmes” - ₹2100.00 lakhs; and

(b) “Livestock Health and Disease Control Programme” - ₹2300.00 lakhs.

उपर्युक्त नौ शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों/निधियों के पुनर्विनियोग और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहे।

(II) मुख्य शीर्ष “2403” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :-

(का) “पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य” –

क) “पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹58607.55 लाख की बचत (₹105071.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस. एन. ए./सी. एन. ए के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई राशियों में से अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और एस. एन. ए. दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण हुई।

ख) “भारतीय पशु चिकित्सा परिषद” – ₹2630.00 लाख की बचत (₹3030.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वी. सी. आई.) के भवन का निर्माण कार्य शुरु नहीं होने के कारण हुई।

(खा) “मवेशी और भैंस विकास – नस्ल सुधार संस्थान” – ₹2252.47 लाख की बचत (₹4925.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, नव सृजित पशु स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र (सी. ई. ए. एच.) का परिचालन होने, उप कार्यालयों के बंद होने, वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधानों में कटौती किए जाने और मितव्ययता उपाय किए जाने के कारण हुई।

(गा) प्रशासनिक जाँच और सांख्यिकी – विकास कार्यक्रम – ₹2081.61 लाख की बचत (₹2175.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस.एन.ए. दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन में विलम्ब होने और मितव्ययिता के उपाय करने के कारण हुई।

Provisions under the above nine heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2403” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Veterinary Services and Animal Health” -

(a) “Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹58607.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹105071.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the implementing agencies owing to availability of unspent balances of previous SNA/CNA releases and delay in implementation of SNA guidelines.

(b) “Veterinary Council of India” - saving of ₹2630.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3030.00 lakhs) was due to non-commencement of construction of Veterinary Council of India (VCI).

(B) “Cattle and Buffalo Development - Breed Improvement Institutes” - saving of ₹2252.47 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4925.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, operationalization of newly created Centre of Excellence for Animal Health (CEAH), closure of sub-offices, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

(C) “Administrative Investigation and Statistics - Development Programmes” - saving of ₹2081.61 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2175.00 lakhs) was due to delay in compliance of SNA guidelines and economic measures.

(घा) “कुक्कुट विकास” –

क) “छोटे पशुओं के संस्थान” – ₹1110.27 लाख की बचत (₹4242.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, उप कार्यालयों के बंद होने, जी ई एम पर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कच्चे माल की आपूर्ति नहीं किए जाने, सी. पी. डब्ल्यू. डी द्वारा निधियों का उपयोग नहीं कर पाने और मितव्ययता उपाय किए जाने के कारण हुई।

ख) “अवसंरचना विकास निधि” – ₹2665.79 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में ₹0.21 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹14000.21 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(डा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना” –

क) “विकास कार्यक्रम” – ₹3161.31 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 और फ़रवरी, 2024 में प्राप्त किए गए ₹0.62 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹16150.62 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

ख) “पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹15905.62 लाख की बचत (₹28000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(चा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

क) “विकास कार्यक्रम” – ₹1360.08 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.11 लाख के पूरक अनुदान सहित ₹8200.11 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

ख) “पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹7953.00 लाख की बचत (₹14000.02 लाख के

(D) “Poultry Development” -

(a) “Small Livestock Institutes” - saving of ₹1110.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4242.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, closure of sub-offices, non-supply of raw material by supplier on Gem, non-utilization of funds by CPWD and economy measures.

(b) “Infrastructure Development Fund” - saving of ₹2665.79 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹14000.21 lakhs including token supplementary grant of ₹0.21 lakh obtained in December, 2023);

(E) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -

(a) “Development Programmes” - saving of ₹3161.31 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹16150.62 lakhs including token supplementary grant of ₹0.62 lakh obtained in December, 2023 and February, 2024);

(b) “Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹15905.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹28000.00 lakhs);

(F) “Tribal Area Sub-Plan” -

(a) “Development Programmes” - saving of ₹1360.08 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹8200.11 lakhs including token supplementary of ₹0.11 lakh obtained in December, 2023); and

(b) “Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹7953.02 lakhs

कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(against the sanctioned provision of ₹14000.00 lakhs).

उपर्युक्त पाँच शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतें एस. एन. ए/सी. एन. ए. के तहत पूर्व में जारी की गई राशियों में से अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों/राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

Savings under the above five heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies/State Governments owing to availability of unspent balances of previous SNA/CNA releases.

(III) मुख्य शीर्ष “2404” के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई:-

(III) Under Major Head “2404” - savings occurred under the following heads:-

(का) “डेयरी विकास परियोजनायें” –

(A) “Dairy Development Projects” -

क) “दिल्ली दुग्ध योजना” – ₹15341.24 लाख की बचत (₹34910.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, एफ. एस. एस. ए. आई द्वारा डी. एम. एस. के लाइसेंस को रद्द किए जाने के चलते डी. एम. एस. परिसर में सभी उत्पादन और खाद्य व्यापार कार्यक्रम रोक दिए जाने, संशोधित प्राक्कलन चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा प्रावधानों में कटौती किए जाने और मितव्ययता उपाय किए जाने के कारण हुई।

(a) “Delhi Milk Scheme” - saving of ₹15341.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34910.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, stopping of all production and food business activities at DMS premises owing to suspension of licence of DMS by FSSAI, reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and economy measures.

ख) “अवसंरचना विकास निधि” – ₹829.69 लाख की बचत (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹0.25 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹13637.25 लाख के कुल प्रावधान की तुलना में) हुई।

(b) “Infrastructure Development Fund” - saving of ₹829.69 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹13637.25 lakhs including token supplementary grant of ₹0.25 lakh obtained in December, 2023);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – अवसंरचना विकास निधि” – ₹1182.32 लाख की बचत (₹3137.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Infrastructure Development Fund” - saving of ₹1182.32 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3137.00 lakhs);

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अवसंरचना विकास निधि” – ₹612.24 लाख की बचत (₹1625.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Infrastructure Development Fund” - saving of ₹612.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1625.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :-

(IV) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States” - savings occurred under the following heads:-

(का) “विशेष सहायता – पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹16596.67 लाख की बचत (₹44300.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹6115.50 लाख की बचत (₹12900.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – पशु स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम” – ₹3011.64 लाख की बचत (₹6500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(V) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें – केंद्रीय सहायता/हिस्सा विकास कार्यक्रम” – ₹1547.50 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत हुई बचतें एस. एन. ए./सी. एन. ए के तहत पूर्व में जारी की गई निधियों में से अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों/राज्य सरकारों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VI) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹394.33 लाख की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत है।

2.(I) उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से (₹44713.61 लाख) पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढ़ाने के लिए प्रयुक्त हो गईं जैसा कि दिसंबर, 2023 और फरवरी, 2024 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” –

क) “मवेशी और भैंस विकास – विकास कार्यक्रम” ₹28285.81 लाख रुपए। तथापि वास्तविक अधिक

(A) “Special Assistance - Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹16596.67 lakhs (against the sanctioned provision of ₹44300.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹6115.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12900.00 lakhs);

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Livestock Health and Disease Control Programme” - saving of ₹3011.64 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6500.00 lakhs); and

(V) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Development Programmes” - saving of ₹1547.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs).

Savings under the above seven heads were due to receipt of less proposals from the implementing agencies/State Government owing to availability of unspent balances of previous SNA/CNA releases.

(VI) Under one head saving of ₹394.33 lakhs occurred constituting 17 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (₹44713.61 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs in December, 2023 and February, 2024 under the following major heads:-

(A) Major Head “2403” -

(a) “Cattle and Buffalo Development - Development Programmes” - ₹28285.81

व्यय ₹28245.57 लाख था।

lakhs. Actual excess, however, was ₹28245.57 lakhs.

ख) “कुक्कुट विकास – विकास कार्यक्रम” – ₹10039.04 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹9711.25 लाख था।

(b) “Poultry Development - Development Programmes” - ₹10039.04 lakhs. Actual excess, however, was ₹9711.25 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2404” –

(B) Major Head “2404” -

क) “डेयरी विकास परियोजनायें – विकास कार्यक्रम” – ₹4799.34 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹4798.24 लाख था।

(a) “Dairy Development Projects - Development Programmes” - ₹4799.24 lakhs. Actual excess, however, was ₹4798.24 lakhs.

ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक – विकास कार्यक्रम” – ₹564.76 लाख।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Development Programmes” - ₹564.76 lakhs.

ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – विकास कार्यक्रम” – ₹1024.76 लाख। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय ₹1024.75 लाख था।

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Development Programmes” - ₹1024.76 lakhs. Actual excess, however, was ₹1024.75 lakhs.

(II) बचतें भी निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2403” – “पशु चिकित्सा सेवायें और पशु स्वास्थ्य – पशु स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र (सी. ई. ए. एच.)” – ₹1864.68 लाख का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) नव सृजित पशु स्वास्थ्य उत्कृष्टता केंद्र (सी. ई. ए. एच.) के परिचालन होने के कारण हुआ।

(A) Major Head “2403” - “Veterinary Services and Animal Health - Centre of Excellence for Animal Health (CEAH)” - excess of ₹1864.68 lakhs (against nil provision) was due to operationalization of newly created Centre of Excellence for Animal Health (CEAH).

(खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनायें केंद्रीय सहायता/हिस्सा – विकास कार्यक्रम” – ₹708.40 लाख का अधिक व्यय (₹4875.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं में उपयोग के लिए निधियों के मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों में पुनर्विनियोग के कारण हुआ।

(B) Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Development Programmes” - excess of ₹708.40 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4875.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilization on projects/schemes for the benefit of the North Eastern Region and Sikkim.

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹286.70 लाख का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 57 प्रतिशत है।

(III) Under one head excess of ₹286.70 lakhs occurred constituting 57 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई :-

2. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head	
मुख्य शीर्ष "4404"	Major Head "4404"	
डेयरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Dairy Development	
मू.	O.	1090.00
पु.	R.	-1087.00

3.00

2.76

-0.24

(I) "डेयरी विकास परियोजनायें - दिल्ली दुग्ध योजना" के अंतर्गत - ₹1087.24 लाख की बचत (₹1090.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वाहनों की खरीद पर प्रस्तावों को मूर्त रूप नहीं दिए जाने और वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(I) Under "Dairy Development Projects - Delhi Milk Scheme" - saving of ₹1087.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1090.00 lakhs) was due to non-materialisation of proposals for purchase of vehicles and reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.